FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0317   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 28/11/2025 19:30 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 25/11/2025   Date To (दिनांक तक): 26/11/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 11:30 बजे   Time To (समय तक): 13:17 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/11/2025   Time (समय): 13:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय) 28/11/2025 19:30:45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 80 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): KARALYA MAHAPARBANDHAK,RAJASTHAN RAJYA TILAHAN UTPADAN, SAHAKAR SANGH LTD./TILAM SANG, KOTA JILA KOTA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

3. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): DHANNALAL

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMLAL

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1955 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PALAYATHA, ANTA, ANTA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PALAYATHA, ANTA, ANTA, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMESH CHAND VAIRAGI		पिता:PANNALAL VAIRAGI	1. 10,SETOR 07,KESHVPURA KOTA,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

0. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात् घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 25.11.2025 को समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री धन्नालाल पुत्र रामलाल मीणा जाति मीणा उम्र 70 साल निवासी पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां मो0 नं0 [redacted] ने ब्यूरो कार्यालय बारां में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड एवं एमएसपी केन्द्र वर्ष 2025-2026 के आवंटन की स्वप्रमाणित फोटोप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम श्री कालूराम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री धन्नालाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "प्रार्थी धन्नालाल पुत्र रामलाल मीणा पलायथा जिला बारां का निवासी हूं। में पलायथा समर्थन मूल्य गेहूं क्रय केन्द्र का विगत वर्षो से प्रभारी रहा हूं। पिछले वर्ष पलायथा समर्थन मूल्य गेहूं क्रय केन्द्र पर लगभग 45000 कट्टों की तुलाई हुई थी। गेहूं के 45000 कट्टों का एक रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से रिश्वत प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में पलायथा समर्थन मूल्य गेहूं क्रय केन्द्र को रमेशचंद बैरागी ने तुलाई केन्द्र की अनुशंषा नहीं की। इस संबंध में केन्द्र को चालू कराने के लिए मैं श्री रमेशचंदजी महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा से जाकर मिला तो इन्होंने पलायथा केन्द्र को दुबारा चालू कराने की एवज में एक लाख रूपये की मांग की व 45000 कट्टों का एक रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से 45000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री रमेशचंद बैरागी महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं रमेशचंद महाप्रबन्धक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी रमेशचंद महाप्रबन्धक से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और ना हीं उधारी का कोई लेन-देन बकाया है। मेरी शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें"। परिवादी श्री धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया गया है। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन प्रेमचंद उप अधीक्षक एसीबी बारां का परिवादी से परिचय करवाकर प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिये। परिवादी श्री धन्नालाल को मय प्रार्थना पत्र के मन प्रेमचंद उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कक्ष में लाकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में पूछताछ की परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया। परिवाद में अंकित तथ्यों एवं पूछताछ अनुसार परिवादी श्री धन्नालाल मीणा को आरोपी रमेशचंद महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा के पास भिजवाया जाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने हेतु कहा तो परिवादी ने बताया कि आरोपी रमेशचंद महाप्रबन्धक रिश्वत राशि के संबंध में मुझसे आज ही वार्ता करेगा। इस पर कार्यालय में उपस्थित श्री विक्रम सिंह कानि. 23 को बुलाकर परिवादी श्री धन्नालाल से आपसी परिचय करवाया तथा मालखाने से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर एवं नया मेमोरी कार्ड केडीएम 8 जीबी निकलवाकर परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधिवत प्रक्रिया बताई जाकर रिश्वत की राशि का सत्यापन करवाने हेतु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द किया गया। श्री विक्रम सिंह कानि. को परिवादी श्री धन्नालाल के साथ जाकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने एवं स्वयं की उपस्थिति छुपाते हुऐ रिश्वत मांग सत्यापन की निगरानी रखने की हिदायत कर सत्यापन हेतु कोटा परिवादी के साथ समय 12.10 पीएम पर रवाना किया गया जो बाद सत्यापन श्री विक्रम कानि0 23 मय परिवादी श्री धन्नालाल को हमराह लेकर समय 3.35 पीएम पर उपस्थित कार्यालय आया। श्री विक्रम कानि0 23 ने डीवीआर मय मेमोरी कार्ड मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि मैं आपके निर्देशानुसार रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी श्री धन्नालाल के साथ कोटा रावतभाटा रोड़ पर तिलम संघ के कार्यालय के बाहर पहुंचे। सत्यापन हेतु परिवादी को दिये गये डिजीटल वाईस रिकार्डर को चालू कर मेरी आवाज रिकार्ड कर तिलम संघ कार्यालय परिसर में रवाना किया। मैं आसपास छूपाव हासिल करते हुए निगरानी करने लगा। कुछ बाद परिवादी श्री धन्नालाल लगभग आधे घंटे बाद वापस मेरे पास आया जिसने डिवीआर बन्द करके मुझे सुपुर्द किया। परिवादी से पुछा तो परिवादी श्री धन्नालाल ने बताया कि "मैं डीवीआर लेकर श्री रमेशचंद बैरागी महाप्रबन्धक के कक्ष में गया, जहां पर उनसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने मुझसे पलायथा गेहूं क्रय केन्द्र को इस वर्ष तुलाई हेतु चालू करवाने की एवज में एक लाख रूपयें एवं पिछले वित्तीय वर्ष पलायथा केन्द्र पर गेहूं क्रय किये गये 45000 कट्टों का एक रूपये प्रति

कट्टे के हिसाब से 45000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा 30000 रूपये रिश्वत कल देने की बात हुई है। वार्ता के बाद मैं रवाना होकर आपके पास आ गया। मेरी व महाप्रबन्धक श्री रमेशचंद की जो भी बातचीत हुई वह डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गई है।" इस पर मैं परिवादी श्री धन्नालाल को साथ लेकर आपके पास आ गया।" मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री धन्नालाल से पुछा तो परिवादी ने श्री विक्रम सिंह कानि0 23 के कथनो की ताईद की। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डीवीआर को चालू कर सुना तो एक लाख 45000 रूपये रिश्वत मांग तथा 30000 रूपये कल दिनांक 26.11.2025 को देने की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी श्री धन्नालाल से ट्रेप कार्यवाही करवाने एवं ट्रेप राशि के बारे में कहा तो परिवादी ने ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु ट्रेप राशि 30000 रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 26.11.2025 को साथ लाने की बात कही। परिवादी श्री धन्नालाल को ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 26.11.2025 को सुबह 9.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत की गई तथा परिवादी श्री धन्नालाल को सकुशल रूकसत किया गया। ट्रेप कार्यवाही की संभावना होने से समय 5.00 पीएम पर कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बारां को दो स्वतंत्र गवाह भिजवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर कार्यालय जिला परिषद बारां के पत्रांक 858-59 दिनांक 25.11.2025 से श्री देवेन्द्र कुमार पार्थ सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री दिनेश कुराडिया वरिष्ठ सहायक को नामित किया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहों दिनांक 26.11.2025 को प्रातः 9.30 ए.एम. पर एसीबी कार्यालय बारां में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कराये गये।दिनांक 26.11.2025 समय 9.20 एएम पर परिवादी श्री धन्नालाल एवं पूर्व से पाबंद दोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये। दोनो स्वतंत्र गवाहों को मन प्रेमचन्द उप पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री देवेन्द्र कुमार पार्थ पुत्र श्री घनश्याम पार्थ जाति कलाल उम्र 43 साल निवासी 1391ए आर.के.पुरम कोटा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय जिला परिषद बारां मोबाईल नं. [redacted] एवं दूसरे ने दिनेश कुराडिया पुत्र श्री रामकिशन जाति कुम्हार उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट बराना तहसील बारां हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय जिला परिषद बारां मोबाईल नं. [redacted] होना बताया। ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री धन्नालाल का दोनों स्वतंत्र गवाहान से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री धन्नालाल द्वारा दिनांक 25.11.2025 को ब्यूरो कार्यालय बारां में पेश किया गया प्रार्थना पत्र दोनो स्वतंत्र गवाह को पढवाया। कार्यवाही में सहयोग करने हेतु सहमति चाही तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर बतौर स्वतंत्र गवाह कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति देते हुए परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 9.35 एएम पर परिवादी श्री धन्नालाल एवं आरोपी श्री रमेशचंद महाप्रबन्धक के मध्य दिनांक 25.11.2025 को महाप्रबंधक तिलम संघ कार्यालय कोटा में हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नम्बर 251125_1327 (10 मिनट 31 सैकण्ड) जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (केडीएम 8 जीबी) में रिकार्ड थी को दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सरकारी लेपटॉप में लगाकर स्पीकर ऑन कर वार्ता परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री धन्नालाल ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी रमेशचंद महाप्रबन्धक की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री विक्रम कानि0 23 से टाईप करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.10 एएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री धन्नालाल पुत्र श्री रामलाल जाति मीणा उम्र 70 साल निवासी पलायथा जिला बारां ने अपने पास से निकालकर बतौर रिश्वत दिये जाने हेतु पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल तीस हजार रूपये मन् प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है -क्र.स. नोट का विवरण नोट का नम्बर1. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5FW 6364482. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर ...V 2602663. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1EU 3289524. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2BL ...72155. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2KD 8939106. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6DC 1108547. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9EN 5556368. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2GS 9571649. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8SC 18454710. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0FP 50614211. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0ED 12814612. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4NG 93088013. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर ...R 66711614. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8WN 14752315. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9KT ...70616. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2EN 67774517. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0MD ...65018. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3PR 69543719. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0TN ...78120. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3VP 65236621. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4PP ...44722. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6BE 40741423. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5GK ...48624. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7FN 05561925. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2FP ...30226. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2FP 58630327. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2RK ...08728. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6MN 74183629. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4FQ ...36130. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4FQ 24285831. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 6EQ

28986032. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1FG 39206533. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0RU 72909934. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2BW 15427235. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2DP 95946936. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8KU 58872337. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8KU 58872438. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0BA 17372939. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8BC 91386140. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1BL 04092841. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5VC 45096742. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3EU 56699343. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2EQ 23952444. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4VF 51988545. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9SU 95078846. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2SC 38032947. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5AH 80123848. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4DU 61832249. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5NM 48622550. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 8HV 27727151. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3MW 67039452. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 4PA 50743053. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 9BK 13246854. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 2CV 65561355. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5VE 99487256. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 1PK 24324757. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 7VA 01438158. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 3VC 91840059. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 0FT 95795960. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बर 5DE 305800श्री दिनेश कुमार कानि 360 से मालखाने में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के उपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया ताकि पाउडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री धन्नालाल की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार से लिवाई गई। परिवादी श्री धन्नालाल के पास उसके पहने हुए वस्त्रों के अलावा मोबाईल फोन को छोडकर अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 30 हजार रूपये को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में श्री दिनेश कुमार कानि 360 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री दिनेश कुमार कानि 360 के हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति न नोटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री दिनेश कुमार कानि 360 से मालखाने में रखवायी गई। श्री दिनेश कुमार कानि 360 के हाथ एवम् ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियां को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। ट्रेप पार्टी सदस्यों, परिवादी व गवाहां ने भी अपने-अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुये एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें। यदि अभिवादन करने की आवश्यकता पडे़ तो दोनों हाथ जोडकर अभिवादन करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आरोपी रिश्वत राशि लेकर कहां रखता है या छुपाता है। परिवादी धन्नालाल को समझाया कि रिश्वत देने के बाद मन उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर अवगत करावें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री धन्नालाल को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को समझाईश की गयी। दोनों स्वतंत्र गवाहों व ट्रेप पार्टी को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। एसीबी स्टाफ व स्वतंत्र गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई। ट्रेप टीम के पूरे स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये एवं कोई आपत्तिजनक वस्तु या राशि नहीं रहने दी गई। कार्यवाही की फर्द पेशकशी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर तैयार करवाई गई। समय 11.45 एएम पर मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री धन्नालाल, स्वतन्त्र गवाहान श्री देवेन्द्र कुमार पार्थ, श्री दिनेश कुराडिया मय एसीबी टीम श्री ज्ञानचन्द एएसआई, श्री उमाशंकर हैड.कानि. 26, श्री बबलेश कानि0 261, श्री विक्रम सिंह कानि0 23, श्री जावेद अख्तर कानि0 25 एवं श्री दुर्गेश कानि. 34 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, सरकारी मोबाईल मय सरकारी वाहन चालक श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 530 व प्राईवेट वाहन के ट्रेप कार्यवाही हेतु कोटा रवाना होकर समय 12.50 पीएम पर रावतभाटा रोड पर तिलम संघ कार्यालय कोटा के मेन गेट के पास पहुंचा। दोनो वाहनो को साईड में सुरक्षित खडा करवाया। समय 1.00 पीएम पर परिवादी श्री धन्नालाल को रिश्वत देने हेतु आरोपी रमेशचंद महाप्रबन्धक के पास उसके कार्यालय में रवाना किया गया। मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने मय हमराहीयान के तिलम संघ के मेन गेट के आसपास छुपाव हासिल करते हुए ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के फोन का इंतजार करने लगा। समय 01.17 पीएम पर परिवादी श्री धन्नालाल ने अपने मोबाईल से मन उप अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत का लेन-देन हो जाने के संबंध में अवगत कराया। इस पर मन उप अधीक्षक प्रेमचंद मय स्टाफ मय स्वतन्त्र गवाह श्री दिनेश कुराडिया व श्री देवेन्द्र कुमार के साथ दोनों वाहनों से कार्यालय महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य तिलहन

दन सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) कोटा के प्रशासनिक भवन के सामने परिवादी श्री धन्नालाल के पास पहुंचा। वादी के पास से डी.वी.आर. लेकर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि श्री रमेश चन्द वैरागी द्वारा पलायथा में एमएसपी केन्द्र आवंटन करने की एवज में मेरे से रिश्वत राशि अपने बांये हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी काले-लाल रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी साईड की जेब में रख लिये है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय वादी एवं एसीबी जाप्ता मय स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर कार्यालय महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा में आरोपी रमेश वैरागी के चेम्बर में पहुंचा तो वहां पर एक व्यक्ति लाल-काले रंग की जैकेट पहने हुये कुर्सी पर बैठा हुआ मिला। उस की तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि यही रमेश चन्द वैरागी महाप्रबन्धक है जिन्होंने अभी मुझसे रिश्वत राशि 00 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई लाल-काली रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी साईड की जेब में रखे है। इस पर री मोबाईल में नया मेमोरी कार्ड डालकर श्री बबलेश कुमार कानि 261 से बरामदगी, हाथ धुलाई एवं पूछताछ की यो रिकॉर्डिंग प्रारम्भ करवाई गई। मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने द्देश्य बताया तथा उससे उसका नाम पता पूछा तो वह व्यक्ति एक दम से घबरा गया जिसे तसल्ली देकर बैठाया तथा उसका नाम पता पुनः पूछा तो उसने अपना नाम श्री रमेश चन्द वैरागी पुत्र श्री पन्नालाल वैरागी जाति वैरागी उम्र 60 निवासी प्लाट नंबर 10 सेक्टर 07, केशवपुरा कोटा हाल महाप्रबन्धक (संविदा पुनर्नियुक्ति) राजस्थान राज्य तिलहन दन सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) कोटा होना बताया। इसी दौरान श्री कालू राम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बी बारां सुपरविजन हेतु मौके पर उपस्थित आये जिन्हे अब तक के हालात से अवगत कराया तथा आरोपी का दाहिना श्री विक्रम सिंह कानि 23 व बांया हाथ श्री दुर्गेश चौधरी कानि 34 ने कलाई के उपर से पकड़कर यथा स्थिति में बैठाया श्चात आरोपी रमेश चन्द वैरागी से परिवादी धन्नालाल से ली गई रिश्वत राशि 30000 रूपये के संबंध में पूछा तो री रमेश चन्द वैरागी ने रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई लाल-काले रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी साईड की जेब ी होना बताया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी रमेश चन्द वैरागी को यथा स्थिति में रखते हुए त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार पार्थ से उसकी लाल-काली रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी जेब में रिश्वत राशि की ी करवाई तो आरोपी रमेश चन्द वैरागी की पहनी हुई लाल-काली रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी साईड की जेब -पांच सौ रूपये के नोट मिले जिनको श्री देवेन्द्र कुमार पार्थ स्वतन्त्र गवाह से गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये नोट कुल 30000 रूपये होना पाया गया। रिश्वत राशि 30000/- रूपये के नम्बरो का मिलान दोनो स्वतन्त्र गवाह से शकशी व सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर से करवाया गया तो हू ब हू उसी नम्बर के नोट बताया। आरोपी से बरामद रिश्वत राशि पांच-पांच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30000 रूपये को एक पीले रंग के के लिफाफे में रखवाया जाकर लिफाफे पर विवरण अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह कब्जे ब्यूरो लिया गया। रिश्वत राशि के अतिरिक्त आरोपी रमेश चन्द वैरागी के पास 5840 रूपये ओर मिले जिनके पूछा तो आरोपी रमेश चन्द ने बताया कि ये राशि स्वयं के खर्चे के लिए घर मे लाया हूं। आरोपी का जबाव संतोषप्रद उक्त राशि आरोपी रमेश चन्द के पुत्र श्री ब्रहम प्रकाश को पृथक से गिरफ्तारी के दौरान सुपुर्द की गई। तत्पश्चात दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष आरोपी के हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री जावेद अख्तर कानि 25 से लय से पानी की बोतल में साफ पानी मंगवा कर दो पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी डाला उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया। दो गिलासों के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे दी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। तत्पश्चात इस घोल के एक गिलास में आरोपी रमेश चन्द के हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे दो साफ कॉच की यां में आधा-आधा भरवाकर कर सील चिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1, आर.एच.-2 अंकित या और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल रोपी रमेश चन्द के बांये हाथ के अंगूठे व अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे कॉच की दो शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर कर सीलचिट मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 एल.एच. कित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। इसके बाद आरोपी रमेश चन्द द्वारा पहनी हुई लाल-काले रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी साईड की जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है। अतः ी रमेश चन्द की लाल-काले रंग की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी का जेब का धोवन लेना आवश्यक होने से रमेश चन्द नी हुई जैकेट को मर्यादापूर्वक खुलवाई गई। तत्पश्चात आरोपी रमेश चन्द की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी जेब की हेतु एक पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी डाला गया, उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल किया गया। गिलास के घोल का रंग रंगहीन ही रहा जिसे परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहों ने भी रंगहीन होना माना। गहीन घोल के डिस्पोजल गिलास में आरोपी रमेश चन्द की ऊनी जैकेट की नीचे की बांयी साईड की जेब को कर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कॉच की शीशीयां में आधा-आधा भरवाकर ल मोहर किया गया। शीशीयों पर मार्क जे-1, जे-2 अंकित किया गया और सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर यूरो लिये गये। आरोपी रमेश चन्द की पहनी हुई लाल-काली रंग की ऊनी जैकेट को पंखे की हवा में सुखाने के लिए

गया। मन उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी श्री रमेश चन्द महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा से रिश्वत राशि 30000 रूपये संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि मैंने धन्नालाल से कोई पैसे नहीं मांगे। धन्नालाल ने जबरदस्ती मेरी जेब में पैसे है। मैंने कोई पैसे नहीं मांगे। इस पर पास खडे परिवादी श्री धन्नालाल ने आरोपी रमेश चन्द के जबाव के संबंध में या कि महाप्रबन्धक साहब झूठ बोल रहे है, मैं दिनांक 25.11.2025 को मेरा समर्थन मूल्य गेंहू खरीद केन्द्र पलायथा को पुनः आवंटित करने के लिए इनसे मिला तो इन्होंने मेरे से गत वर्ष पलायथा स्थित समर्थन मूल्य गेंहू खरीद केन्द्र पर किये गये 45000 कट्टो के 01 रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से 45000 रूपये एवं उक्त केन्द्र को पुनः आवंटन करने के लिए लाख रूपये कुल 145000 रूपये की रिश्वत की मांग की थी। मेरे निवेदन करने पर इन्होंने आज दिनांक 26.11.2025 0000 रूपये देने के लिए कहा तथा बाकी पैसे बाद में देने के लिए कहा था। इस पर आरोपी श्री रमेश चन्द से इस संबंध : पूछा तो आरोपी कुछ नहीं बोला। इसके बाद धुलाई हेतु प्रयोग में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को बाहर ाकर नष्ट करवाया गया। आरोपी रमेश चन्द की काली-लाल रंग की ऊनी जैकेट को सूखने के बाद जैकेट की नीचे की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क-जे दिया जाकर की थैली पर भी सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री रमेश चन्द की हाथों एवं धुलाई तथा रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग विधिक प्रावधानो के तहत सरकारी मोबाईल क से मैमोरी कार्ड लगाकर तैयार की गई। परिवादी के पेण्डिंग कार्य संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराने हेतु श्री द्वारिका द संयुक्त प्रबन्धक तिलम संघ कोटा से कहा तो उन्होंने परिवादी धन्नालाल द्वारा तिलम संघ कोटा में दिनांक .1.2025 को दिये गये प्रार्थना पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रबंध संचालन तिलम संघ राजस्थान जयपुर को जरिये पत्रांक 2 दिनांक 30.10.25 के संलग्न प्रेषित गेहू खरीद हेतु वांछित क्रय केन्द्रो की सूची पेश की जिसे शामिल कार्यवाही किया तथा श्री रामवीर सिंह, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) तिलम संघ कोटा से आरोपी रमेश चन्द महाप्रबन्धक के वार्षिकी सेवानिवृत्ति आदेश, संविदा पुनर्नियुक्ति आदेश, कार्यग्रहण आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की जिन्हें शामिल वाही किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई तैयार करवाई गई। समय 4.00 पीएम रिवादी श्री धन्नालाल एवं आरोपी श्री रमेशचंद बैरागी के मध्य दिनांक 26.11.2025 को महाप्रबंधक तिलम संघ लय कोटा में हुई रिश्वत लेन देन वार्ता की फाईल नम्बर 251126_1301 (20 मिनट 31 सैकण्ड) जो डीवीआर के ी कार्ड केडीएम 8 जीबी में रिकार्ड थी को कार्यालय के सरकारी लेपटॉप में श्री विक्रम सिंह कानि0 23 से लगवाकर र ऑन कर परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को सुनाई गई जिसमें परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं एक आवाज ी श्री रमेश चंद बैरागी महाप्रबंधक की होना बताया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक के निर्देशन में क्रम सिंह कानि0 23 से टाईप करवाकर तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 5.30 पीएम नो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष परिवादी श्री धन्नालाल की निशादेही से घटनास्थल एवं रिश्वत बरामदगी स्थल का नजरी ण कर नक्शा मौका तैयार किया गया। समय 6.30 पीएम पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष जर्ये नोटिस श्री रमेश रागी पुत्र श्री पन्नालाल वैरागी जाति वैरागी उम्र 60 साल निवासी प्लाट नंबर 10 सेक्टर 07, केशवपुरा कोटा हाल बन्धक, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) कोटा को सूचित किया गया कि आप रिवादी श्री धन्नालाल से दिनांक 25.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 1,45,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई है तथा दिनांक 26.11.2025 को रिश्वत लेनदेन वार्ता के दौरान 30000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त पाया गया है। उक्त वार्ताओं को सरकारी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त की गई वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान एफएसएल जयपुर से करवाने हेतु आपकी आवाज के नमूने की यकता है। अतः आप अपनी आवाज का नमूना परीक्षण हेतु देना चाहते हैं या नहीं, इस सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट राय करें। इस पर आरोपी श्री रमेशचंद वेरागी ने नोटिस पर " मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं" कर हस्ताक्षर किये। समय 7.30 पीएम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रमेश चन्द वैरागी पुत्र श्री पन्नालाल जाति वैरागी उम्र 60 साल निवासी प्लाट नंबर 10 सेक्टर 07, केशवपुरा कोटा हाल महाप्रबन्धक, राजस्थान राज्य न उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) कोटा को मन प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पद का परिचय अवगत कराया कि आप द्वारा परिवादी धन्नालाल से दिनांक 25.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। तत्पश्चात दिनांक 26.11.2025 को परिवादी धन्नालाल के पलायथा स्थित न मूल्य गेंहू खरीद केन्द्र पर खरीद किये गये कट्टो एवं उक्त केन्द्र को पुनः आवंटन करने की एवज में प्रथम किस्त के रूप त लेनदेन वार्ता के दौरान रिश्वत राशि 30000 रूपये प्राप्त करने का जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण यम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। आरोपी श्री रमेश चन्द वैरागी महाप्रबन्धक की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री देवेन्द्र कुमार पार्थ से लिवाई गई तो आरोपी के पास पेन्ट की पीछे की जेब में एक काले रंग मिला जिसमें आधार कार्ड मिला। आरोपी के पास एक मोबाईल हल्का हरे रंग का वन प्लस मिला जिसके मईआई नंबर [redacted] जिसमें एक सिम एयरटेल कम्पनी की नम्बर [redacted] व दूसरी सिम जिओ कम्पनी की नम्बर [redacted] लगी हुई है। उक्त मोबाईल को कार्यवाही में वांछित

नहीं होने से जप्त नहीं किया गया। आरोपी श्री रमेश चन्द की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने व आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने की पूर्ण संभावना होने एवं आरोपी की गिरफ्तारी आवश्यक होने से गिरफ्तारी के आधार तथा कारणों एवं उसके संवैधानिक अधिकारों से भली भांति अवगत कराने के उपरान्त बसबूत जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर हिरासत ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री रमेश चन्द महाप्रबन्धक की गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के कहे अनुसार आरोपी के पुत्र श्री ब्रहम प्रकाश बैरागी को दी गई। आरोपी की जामा तलाशी में मिले 5840 रूपये, मोबाईल व काले रंग का पर्स उसके कहे अनुसार उसके पुत्र श्री ब्रहम प्रकाश बैरागी को सुपुर्द किये गये। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 8.30 पीएम पर परिवादी श्री धन्नालाल एवं स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष दिनांक 25.11.2025 को परिवादी श्री धन्नालाल व आरोपी श्री रमेशचंद वैरागी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता फाईल नंबर 251125_1327 (30 Minut 31 Second) एवं दिनांक 26.11.2025 को परिवादी श्री धन्नालाल व आरोपी श्री रमेशचंद वैरागी के मध्य हुई रिश्वत लेन देन वार्ता फाईल नंबर 251126_1301 (20 Minut 31 Second) जो कार्यालय के डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड में सेव है को श्री विक्रम सिंह कानि0 23 से कार्यालय के सरकारी लेपटॉप मे सेव करवाकर कार्यालय के लेपटॉप से 03 पेन ड्राईव KDM 16 GB के तैयार करवाये गये। जिसमें से एक पेन ड्राईव वजह सबूत नमूना आवाज कार्यवाही के लिए, एक पेन ड्राईव आरोपी के लिए कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील मोहर करके संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता जो डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मूल मेमोरी कार्ड KDM 8 GB में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द बरामदगी के समय आरोपी की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जप्ति के दौरान श्री बबलेश कुमार कानि 261 द्वारा सरकारी मोबाईल के मेमोरी कार्ड KDM 8 GB में वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को मय मेमोरी कार्ड लेपटॉप में जोड़कर एक पेन ड्राईव KDM 16GB तैयार करवाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग के मूल मेमोरी कार्ड को माननीय न्यायालय के लिए एवं पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी के लिए पृथक-पृथक कपडे़ की थैलियों में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर सील मोहर किया गया। जर्ये लेपटॉप मूल मेमोरी कार्ड एवं तैयारशुदा पेन ड्राईवों की हैश वैल्यू की गणना MD5 एवं SHA1 में कर प्रिन्ट निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। सीलशुदा आर्टीकल्स को सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया।तत्पश्चात मन प्रेमचंद उप अधीक्षक मय आरोपी मय गवाहान मय परिवादी मय स्टाफ मय जप्तशुदा आर्टिकल्स मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर सरकारी व प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर एमबीएम चिकित्सालय कोटा पहुंचा जहां पर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना नयापुरा कोटा में दाखिल करवाने के बाद कोटा से रवाना रवाना होकर एसीबी कार्यालय बारां पहुंचा जहां पर ट्रेप कार्यवाही का जप्तशुदा माल रिश्वत राशि 30000 रूपये का पीले रंग लिफाफा, जैकेट का सीलशुदा पैकिट, दोनों हाथ व जैकेट की धुलाई के धोवन की सीलशुदा शिशियां, मूल मेमोरी कार्ड एवं तैयारशुदा पेन ड्राईव सीलशुदा को मालखाना प्रभारी श्री उमाशंकर हैड कानि0 125 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाने में जमा करवाये गये। बाद कार्यवाही दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी को सकुशल रूखसत किया गया।अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही एवं हालात से पाया गया कि परिवादी परिवादी श्री धन्नालाल पुत्र रामलाल मीणा जाति मीणा उम्र 70 साल निवासी पलायथा तहसील अन्ता जिला बारां ने ब्यूरो कार्यालय बारां में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड एवं एमएसपी केन्द्र वर्ष 2025-2026 के आवंटन की स्वप्रमाणित फोटोप्रति के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नाम श्री् कालूराम वर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी बारां के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री धन्नालाल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने मजीद दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाकर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि " प्रार्थी धन्नालाल पुत्र रामलाल मीणा पलायथा जिला बारां का निवासी हूं। में पलायथा समर्थन मूल्य गेहूं क्रय केन्द्र का विगत वर्षों से प्रभारी रहा हूं। पिछले वर्ष पलायथा समर्थन मूल्य गेहूं क्रय केन्द्र पर लगभग 45000 कट्टों की तुलाई हुई थी। गेहूं के 45000 कट्टों का एक रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से रिश्वत प्राप्त करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में पलायथा समर्थन मूल्य गेहूं क्रय केन्द्र को रमेशचंद बैरागी ने तुलाई केन्द्र की अनुशंषा नहीं की। इस संबंध में केन्द्र को चालू कराने के लिए मैं श्री रमेशचंदजी महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा से जाकर मिला तो इन्होंने पलायथा केन्द्र को दुबारा चालू कराने की एवज में एक लाख रूपये की मांग की तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान पलायथा केन्द्र पर गेहूं क्रय किये गये 45000 कट्टों का एक रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से 45000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं श्री रमेशचंद बैरागी महाप्रबन्धक तिलम संघ कोटा को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं रमेशचंद महाप्रबन्धक को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। मेरी रमेशचंद महाप्रबन्धक से कोई पुरानी रंजिश नहीं है और ना हीं उधारी का कोई लेन-देन बकाया है। मेरी शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें"। परिवादी श्री धन्नालाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर

परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु मन प्रेमचंद उप अधीक्षक एसीबी बारां का परिवादी से परिचय करवाकर प्रार्थना पत्र सुपुर्द कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उक्त शिकायत पर दिनांक 25.11.2025 को मन प्रेमचंद उप अधीक्षक पुलिस ने रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा परिवादी धन्नालाल से उसके पलायथा गेहूं क्रय केन्द्र को इस वर्ष तुलाई हेतु चालू करवाने की एवज में एक लाख रूपयें एवं पिछले वित्तीय वर्ष में पलायथा केन्द्र पर गेहूं क्रय किये गये 45,000 कट्टों का एक रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से 45,000 रूपये कुल 1,45,000 रूपये रिश्वत की मांग करने तथा 30,000 रूपये प्रथम किस्त दिनांक 26.11.2025 को लेना हेतु सहमत होने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात दिनांक 26.011.2025 को मन प्रेमचंद उप अधीक्षक के नेतृत्व में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी रामेश चंद बैरागी महाप्रबंधक तिलम संघ कोटा द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 30 हजार रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई लाल काले रंग की उनी जैकेट के नीचे की बायीं तरफ की जेब में रखी जो बरामद की गई। आरोपी रमेश चंद बैरागी के दोनों हाथो एवं जैकेट की जेब का धोवन कांच की पृथक-पृथक शीशियां में भरकर मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1 व एलएच -2 एवं जे-1, जे-2 अंकित कर सीलमोहर कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी रमेशचंद बैरागी की पहनी हुई जैकेट जिसकी नीचे की बांयी तरफ की जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से जैकेट को बतौर वजह सबूत कपडे की थैली में रखकर सीलमोहर कर मार्क-जे अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी को ट्रेप कार्यवाही के दौरान नमूना आवाज नोटिस दिया गया जिसमें आरोपी ने अपनी आवाज का नमूना देने से इनकार किया तथा फर्द पर " मैं मेरी आवाज का नमूना स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं" अंकित किया। आरोपी को जुर्म से आगाह कर अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। दिनांक 25.11.2025 को व 26.11.25 को परिवादी धन्नालाल व आरोपी रमेशचंद बैरागी के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फर्द जप्ती मूल मैमोरी कार्ड एवं प्रतिलिपिकरण पैन ड्राईव की कार्यवाही कर हेश वेल्यू निकालकर तैयार की गई। परिवादी के पेण्डिंग कार्य एवं आरोपी के संविदा पुनर्नियुक्ति संबंधी दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये।आरोपी श्री रमेशं चंद बैरागी वर्तमान में संविदा पुनर्नियुक्ति पर प्रबन्ध संचालक राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर के आदेश क्रमांक 164-169 दिनांक 23.04.2025 से 01.05.2025 से संविदा पर पुनर्नियुक्त किया गया। जिसकी पालना में आरोपी रमेशचंद बैरागी ने दिनांक 01.05.2025 को संविदा पुनर्नियुक्ति महाप्रबंधक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया। पेण्डिंग कार्य के संबंध में प्राप्त दस्तावेज से ज्ञात हुआ कि आदर्श तिलहन उत्पादक सहकारी समिति पलायथा के व्यवस्थापक एवं परिवादी श्री धन्नालाल द्वारा रवि की फसल वर्ष 2026-27 में समर्थन मुल्य पर केन्द्र आवंटन के संबंध में दिनांक 18.11.2025 को सहकारी समिति पलायथा के लेटर पेड पर महाप्रबंधक तिलम संघ परियोजना कोटा के नाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर ही श्री रमेशचंद बैरागी महाप्रबंधक द्वारा परिवादी धन्नालाल से रवि की फसल वर्ष 2026-27 में समर्थन मुल्य पर पलायथा केन्द्र आवंटन करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा वर्ष 2025-26 के दौरान पलायथा केन्द्र पर क्रय किये गये गेहूं के 45000 कट्टों का एक रूपये प्रति कट्टे के हिसाब से 45,000 रूपये रिश्वत की मांग की गई तथा कुल रिश्वत राशि 1,45,000 रूपये की मांग कर प्रथम किस्त के रूप में 30 हजार रूपये आरोपी ने दिनांक 26.11.25 को प्राप्त किये।अतः सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही दिनांक 25.11.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व दिनांक 26.11.2025 को हुई रिश्वत लेन देन वार्ता, आरोपी रमेश चन्द बैरागी के धौवन सैम्पल, नमूना आवाज नोटिस, फर्द गिरफ्तारी व फर्द बरामदगी रिश्वत राशि, प्राप्त नियुक्ति एवं पेण्डिंग कार्य संबंधी दस्तावेज व समस्त कार्यवाही से श्री रमेश चन्द वैरागी पुत्र श्री पन्नालाल वैरागी जाति वैरागी उम्र 60 साल निवासी प्लाट नंबर 10 सेक्टर 07, केशवपुरा कोटा हाल महाप्रबन्धक (संविदा पुनर्नियुक्ति) राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।(प्रेमचन्द)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां...........कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रेषितशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांरा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रमेश चन्द वैरागी पुत्र श्री पन्नालाल वैरागी जाति वैरागी उम्र 60 साल निवासी प्लाट नंबर 10 सेक्टर 07, केशवपुरा कोटा हाल महाप्रबन्धक, (संविदा पुनर्नियुक्ति) राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड (तिलम संघ) कोटा जिला कोटा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा एस.यू., कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की इन्द्राज मचाआम 551 पर अंकित है। (डॉ. रामेश्वर सिंह) उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1797-1800 दिनांक 28.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- प्रंबध संचालक, राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,

र निरोधक ब्यूरो, जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांरा। उप महानिरीक्षक पुलिस,
र निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

on taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

gistered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

ected (Name of I.O.): ANITA VERMA Rank (पद): निरीक्षक
च अधिकारी का नाम):

(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

fused investigation due to
ाँच के लिए) :
(के कारण इंकार किया, या)

nsferred to P.S.(थाना): District (जिला):

point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the
lainant/informant free of cost.
तकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
.C.(आर.ओ.ए.सी.)

ature/Thumb impression of the complainant / informant
यतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Dr. Rameshwar Singh
Location: Rajasthan,IN
Date: 28/11/2025 19:

and time of dispatch to the court
तत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR RAMESHWAR SINGH
Rank (पद): Dy. IG (Deputy Inspector General
No(सं.):

...t to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

...atures, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
...भियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

...ा.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
	2	3	4	5	6	7
	Male	1965				

...ities/ Peculiarities (...ृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

.../Dialect (...बोली)	Place Of(का स्थान) Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
...4	15	16	17	18	19	20

...s will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
...दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)